69

संख्या–378 / XLII–1 / 2012–04(38) / 2012

प्रेषक,

अरूण कुमार ढौड़ियाल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृत शिक्षा विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संस्कृत शिक्षा अनुभाग देहरादूनः दिनांक ०9 नवम्बर, 2012

विषय–प्रदेश के राजकीय एवं सहायता प्राप्त अशासकीय संस्कृत विद्यालयों/महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के उपरान्त शैक्षणिक सत्र के अन्त तक सरकारी/अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के कार्मिकों के समान सत्रांत लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–9031/सत्रलाभ प्रस्ताव/2011–12 दिनांक 24 दिसम्बर, 2011 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों/महाविद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों/प्रधानाध्यापकों/प्रधानाचार्यों को, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–20 सं0शि0/XXIV–4/2008 दिनांक 23 जनवरी, 2008, शासनादेश संख्या 848/XXIV–2/11–9(11)/2008 दिनांक 20 सितम्बर, 2011 एवं तदनुक्रम में निर्गत शासनादेश संख्या 152/XXIV–2/12–9(11)/2008 दिनांक 28 फरवरी, 2012 के अन्तर्गत, अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के उपरान्त शैक्षणिक सत्र के अंतिम कार्य दिवस तक निम्नलिखित शर्तों के अधीन सत्रांत लाभ दिये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

2–(क) प्रस्तर–1 में वर्णित अध्यापक का आशय शिक्षक/शिक्षिकाएँ, प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका एवं प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या (उच्च शिक्षा से संलग्न शिक्षक/शिक्षिकाएँ, प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका एवं प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या को छोड़कर) से है।

(ख) शैक्षणिक सत्र की अवधि प्रतिवर्ष 01 अप्रैल से प्रारम्भ होकर अगले वर्ष 31 मार्च तक होगी।

(ग) अधिवर्षता आयु प्राप्त कर सेवानिवृत्त होने की तिथि का निर्धारण वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–2, भाग–2 से 4 के मूल नियम 56 (क) के अनुसार किया जायेगा।

(घ) शैक्षणिक हित में जिन शिक्षकों को शैक्षणिक सत्र के अन्त तक पुनर्नियुक्ति प्रदान की जानी हो उनके लिए आवश्यक है कि उनका आचरण सन्तोषजनक हो तथा वे मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ हो तथा वे किसी विषय को नियमित रूप से अध्यापन करा रहे हों।

2....

M.K.P.

(ङ) सत्रांत लाभ हेतु शैक्षणिक सत्र के मध्य अधिवर्षता आयु प्राप्त कर सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों को अपनी सेवा निवृत्ति की तिथि से छः माह पूर्व पुनर्नियुक्ति हेतु लिखित आवेदन/सहमति यथास्थिति अपने प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य के माध्यम से अपने कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत करना होगा, तद्परान्त नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सन्तुष्ट होने पर सत्रांत लाभ प्रदान किया जायेगा।

(च) शासन द्वारा राजकीय एवं सहायता प्राप्त अशासकीय संस्कृत विद्यालयों/महाविद्यालयों के संबन्ध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि शैक्षणिक सत्र वर्ष 2011–12 के माध्य अधिवर्षता आयु पूर्ण करने वाले शिक्षक, प्रधानाध्यापक एवं प्रधानाचार्य जो अपने सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से शैक्षिक सत्र के अन्त तक सेवा विस्तार की प्रत्याशा में अपने पद पर कार्यरत रहे हैं वर्ष 2011–12 के शैक्षणिक सत्र के लिए पुनर्नियुक्ति हेतु अपना लिखित आवेदन/सहमति दे सकते हैं।

(छ) उक्त सत्रांत लाभ इस शर्त के अधीन भी होगा कि जिन विद्यालयों में शैक्षणिक पद धारकों की आवश्यकता हो, उन्हीं शिक्षकों, को पुनर्नियुक्ति दी जायेगी और यदि पर्याप्त मात्रा में संदर्भगत विषय के शिक्षक हैं और उपस्थित छात्रों की संख्या कम है तो उस स्थिति में उपलब्ध शिक्षकों से समायोजन के द्वारा ही कार्य चलाया जायेगा तथा सत्रांत लाभ का प्रस्ताव नहीं किया जायेगा। सत्रांत लाभ के प्रस्ताव के साथ उक्त आशय की सूचनाएँ एवं प्रमाण–पत्र भी देय होगा कि विद्यालय में कितने शिक्षक हैं, तथा किस विषय के हैं, उक्त विषय में कितने छात्र पंजीकृत हैं तथा कितने छात्र नियमित रूप से उपस्थित होते हैं। यह सूचना/प्रमाण पत्र सम्बन्धित अधिकारी द्वारा सक्षम स्तर के अधिकारी को समय से उपलब्ध करायी जायेगी।

भवदीय

(अरूण कुमार ढ़ौडियाल)
सचिव।

संख्या–378(I)/XLII–1/4(38)/2012 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, ओबराय बिल्डिग,माजरा उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सहायक निदेशक, संस्कृत शिक्षा, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
3. अपर निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0 नरेन्द्रनगर टिहरी।
4. सचिव विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा परिषद् उत्तराखण्ड रामनगर नैनीताल।
5. वरिष्ठ तकनीकि निदेशक, एन0आई0सी0 देहरादून।
6. समस्त कोषाधिकारी/समस्त जिला शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड।
7. वित्त अनुभाग–3 उत्तराखण्ड शासन।
8. गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से

(आर0के0चौहान)
अनुसचिव।

M.K.P.